परिशिष्ट– चार (क)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र का प्रारूप)

1. मैं..................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी .... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन स्नातकोत्तर चिकित्सा (एमडी/एमएस/डिप्लोमा) पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।

2. यह कि मुझे वर्ष 20...... में आयोजित “NEET-PG पीजी”20..... प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 20....-..... में स्नातकोत्तर चिकित्सा सीट आबंटित की गई है ।

3. यह कि वर्ष 20.....-..... की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.....................रायपुर दिनांक .... छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/ एमएस/ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भॉति समझ लिया है । इस नियम के नियम 11 जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धपत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियां दी गई हैं, जिसे मैंने भली भॉति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।

4. मैं एतद्द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमडी/ एमएस/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी ।

5. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी.................................की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि अनारक्षित अभ्यर्थी को रू. 50 लाख तथा आरक्षित अभ्यर्थी को रू. 40 लाख की वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी ।

6. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा ।

7. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा ।

8. एमडी/एमएस/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

9. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

गवाह:-

1................................हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

2................................ हस्ताक्षर **आवेदक/निष्पादनकर्ता**

गवाह नं 1 का फोटो	गवाह नं 2 का फोटो	आवेदक का फोटो

<u>प्रतिभूतिकर्ता</u>

मैं... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..निवासी ....उपरोक्तानुसार बन्धपत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्धपत्र के उल्लंघन की दशा में बन्धपत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

परिशिष्ट- चार (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्युडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मैं................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.............................. निवासी.......................... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक .... "छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, ..." को भली भांति पढ़कर समझ लिया है।

2. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूं।

3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि :-

(क) यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत मेरे द्वारा प्रवेशित सीट (जो लागू न हो उसे काट दिया जावे) –

(i) (पैरा क्लिनिकल एवं क्लिनिकल) से त्याग पत्र देने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना सीट पाठ्यक्रम के मध्य में परित्याग करने या परिषद द्वारा निर्धारित अनधिकृत अवधि तक अनुपस्थित रहने पर **अनारक्षित अभ्यर्थी को रू. 50 लाख तथा आरक्षित अभ्यर्थी को रू. 40 लाख** तथा प्रदाय **स्टायपण्ड की राशि** (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

(ii) (प्रि-क्लिनिकल) से त्यागपत्र देने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना सीट पाठ्यक्रम के मध्य में परित्याग करने या परिषद द्वारा निर्धारित अनधिकृत अवधि तक अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र अनुसार **अनारक्षित अभ्यर्थी को रू. 20 लाख तथा आरक्षित अभ्यर्थी को रू. 15 लाख** तथा प्रदाय किये गये स्टायपण्ड की राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

(ख) मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान यदि मुझ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो भी उपरोक्त कंडिका में वर्णित राशि शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

(ग) उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय प्रशासन में जमा किये गए मूल प्रमाण पत्र मुझे वापस प्रदाय किये जायेंगे।

(घ) यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(ड) यह कि प्रवेश नियम की कंडिका 11- सीट परित्याग/निश्कासन उक्त नियम लागू होंगे।

आवेदक का फोटो	गवाह नं 1 का फोटो	गवाह नं 2 का फोटो

गवाह:-

1................................हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता

2................................ हस्ताक्षर

<u>प्रतिभूतिकर्ता</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... उपरोक्तानुसार बन्धपत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्धपत्र के उल्लंघन की दशा में बन्धपत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर
प्रतिभूतिकर्ता